पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–16 / 2013 :–

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री अखिलेश्वर शाही, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध खरकई नहर अवर प्रमण्डल जादुगोड्डा के पद पर पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनुशासनहीनता (लम्बी अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने) के लिए विभागीय संकल्प संख्या– 5118 दिनांक– 22.04.2014 द्वारा इनके विरूद्ध असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. इसी क्रम में श्री शाही को दिनांक– 31.01.2013 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं०–5520 दिनांक– 07.12.2016 द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति प्रदान की गयी फलस्वरूप उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही को पेंशन नियमावली के नियम–43बी० में संपरिवर्त्तित किया गया।

3. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित आरोप दिनांक– 01.04.2009 से दिनांक– 20.01.2013 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं दिनांक– 21.01.2013 को मुख्यालय राँची में योगदान के पश्चात् दिनांक– 31.01. 2013 तक उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं करना प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शाही से विभागीय पत्रांक– 1084 दिनांक– 27.02.2017 द्वारा निम्न दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया –

(i) दिनांक– 01.04.2009 से 20.01.2013 तक कोई वेतन देय नहीं होगा।

(ii) उक्त अवधि की गणना पेंशन के निमित नही की जायेगी।

(iii) उक्त अवधि को किसी भी अवकाश के रूप में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(iv) पेंशन से प्रतिमाह 15% राशि की कटौती सदा के लिए की जाएगी।

4. द्वितीय कारण पृच्छा में उक्त प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष कोई नया तथ्य एवं साक्ष्य श्री शाही द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त प्रमाणित अरोपों का खण्डन करने में श्री शाही असफल रहे हैं।

5. सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री अखिलेश्वर शाही तत्कालीन सहायक अभियंता, खरकई नहर अवर प्रमण्डल जादुगोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) दिनांक– 01.04.2009 से 20.01.2013 तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए कोई वेतन देय नहीं होगा।

(ii) उक्त अवधि की गणना पेंशन के निमित नही की जायेगी।

(iii) उक्त अवधि को किसी भी अवकाश के रूप में स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

(iv) पेंशन से प्रतिमाह 15% राशि की कटौती सदा के लिए की जाएगी।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : 0248 राँची/दिनांक 15-05-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले० एवं ह०), हिनू, राँची/जिला कोषागार, आदित्यपुर/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–02 एवं 03), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, ईचा–गालूडीह कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/अधीक्षण अभियंता, खरकई नहर अंचल आदित्यपुर/कार्यपालक अभियंता, खरकई नहर प्रमण्डल आदित्यपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अखिलेश्वर शाही, तत्कालीन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत, सी०–326 आशियाना सनासिटी, एन०एच०–33, बलिगुमा, पो०–एम०जी०एम० कॉलेज, जमशेदपुर–831018 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 15/05/2017

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव
झारखण्ड, राँची।

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N) _Ranchi._16_2013_(Akhileswer Shahi).docx 2